भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *160

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा

*160. श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा उपायों, जिनमें यातायात सिग्नल, साइनेज और दुर्घटना-संभावित क्षेत्र पहचान संकेत लगाया जाना शामिल है, को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार विशेषतः जमशेदपुर सहित झारखंड में मानसून के मौसम के दौरान और उसके बाद जब भारी बारिश के कारण सड़क की स्थिति अक्सर खराब हो जाती है, सड़कों का समय पर रखरखाव और मरम्मत किस प्रकार सुनिश्चित करेगी; और

(ग) क्या झारखंड में स्थानीय लोगों और पर्यटकों, दोनों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे में सुधार, जैसे बस टर्मिनलों और सुरक्षित यात्री प्रतीक्षा स्थलों का निर्माण आदि, पर कोई ध्यान केंद्रित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के संबंध में श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा दिनांक 05.12.2024 द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 160 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास, रखरखाव और निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। परियोजना चक्र के सभी चरणों, अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में सड़क सुरक्षा की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार और उन्नयन परियोजनाओं के डिजाइन चरण में सड़क सुरक्षा का लेखापरीक्षण(ऑडिट) किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजाइन सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। निर्माण चरण के दौरान, यातायात के सुरक्षित आवागमन के लिए निर्माण क्षेत्र सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं। संचालन चरण के दौरान, सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा समय-समय पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल रूप से प्रदान किए गए सड़क सुरक्षा उपाय उचित हैं और सुरक्षा उपायों की अतिरिक्त आवश्यकता यदि कोई हो, का आकलन किया जा सके।

सरकार ने लगातार तीन कैलेंडर वर्षों की ब्लॉक अवधि में हुई दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोटों की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों को दुर्घटना ब्लैक स्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया है। विस्तृत जांच के बाद, इन स्थानों पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ अल्पकालिक/दीर्घकालिक उपाय प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों में सड़क चिह्नांकन, संकेत, क्रैश बैरियर, उभरे हुए फुटपाथ मार्कर, रेखांकनों, अनधिकृत मध्यवर्ती मार्गों को बंद करना, यातायात सुनिश्चित करने के उपाय आदि शामिल हैं, इसके अलावा सड़क ज्यामितीय सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का चौड़ाकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि जैसे दीर्घकालिक उपाय भी शामिल हैं। ये उपाय झारखंड राज्य सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए अपनाई जाती है। रखरखाव कार्य चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा निर्माण/संचालन/दोष देयता अवधि के दौरान या निष्पादन आधारित रखरखाव करार (पीबीएमसी) और अल्पकालिक रखरखाव करार (एसटीएमसी) आदि जैसे रखरखाव करारों के माध्यम से किए जाते हैं। झारखंड राज्य सहित पूरे देश में इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 और 49 जमशेदपुर से होकर गुजरते हैं और इन राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव यातायात योग्य स्थिति में किया जा रहा है।

(ग) राज्य परिवहन उपक्रम और परिवहन निगम/स्थानीय नगरपालिका निकाय बस स्टॉप और बस टर्मिनलों के निर्माण और रखरखाव का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बस खंड और बस शेल्टर भी उपलब्ध कराए गए हैं। ये सुविधाएं झारखंड सहित सभी राज्यों में उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अलावा, "देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में आईटीएस को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सहायता" योजना के तहत राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एसआरटीयू)/राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू)/राज्य परिवहन निगमों (एसटीसी) द्वारा संचालित बसों में उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और आईटीएस प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तथापि, उक्त योजना में झारखंड राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्भया फ्रेमवर्क के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "एआईएस-140 विनिर्देश के साथ सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का विकास, अनुकूलन, परिनियोजन और प्रबंधन" योजना के तहत, सरकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्भया फ्रेमवर्क के तहत निधि उपलब्ध कराकर प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में वीएलटीडी और इमरजेंसी बटन से सुसज्जित सार्वजनिक सेवा वाहनों (पीएसवी) पर नज़र रखने, आपातकाल की स्थिति में अलर्ट की निगरानी करने और संकट कॉल का जवाब देने के लिए राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के साथ समन्वय करने के लिए निगरानी/कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता करती है।

****